PH52656-211210

BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biada.in ,Email- biada@rediffmail.com Phone: 0612 – 2675995 / 2675991 / फैक्स 2675889

कार्यालय - आदेश

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2006 के तहत राज्य में स्थापित लघु, मध्यम एवं वृहत इकाईयों को वाणिज्य कर/वैट संबंधी प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 440 दिनांक 14.05.09 द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगणों/विकास केन्द्रों में स्थापित लघु, मध्यम एवं वृहत इकाईयों को वैट पात्रता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रबंध निदेशक, बियाडा को शक्ति प्रदत है।

वैट प्रतिपूर्त्ति एवं पात्रता प्रमाण पत्र औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं उसके संकल्प, परिपत्र एवं अधिसूचना आदि के शर्त्तों को जो औद्योगिक इकाई पूरा करता है, वह पात्र (Eligible) इकाई माना जाता है।

अतः उद्यमियों की सुविधा एवं कार्य में, तीव्रता लाने के हेतु संबंधित क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक को वैट पात्रता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही आदेश दिया जाता है कि निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र की साप्ताहिक सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावित समझा जाय।

ह0/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक 8025/D 132/डी0 ओ0/बियाडा/10 दिनांक 21-12-10

प्रतिलिपि: कार्यकारी निदेशक एवं विकास पदाधिकारी पटना/दरभंगा/भागलपुर/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।